राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............1830/2014.............................. जिला ....अजमेर...

उनवान : मैसर्स जैन मार्बल सेन्टर, किशनगढ़ जिला अजमेर बनाम सहायक आयुक्त, वाणि.कर, किशनगढ़.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
05/12/2014	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 119/14–15/वैट/किशनगढ़ में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 24.09.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–किशनगढ़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2011–12 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.3.2014 से सृजित/वसूलनीय मांग राशि रूपये 36,86,773/– में से रूपये 8,84,627/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी करते हुए शेष राशि पर स्थगन आदेश जारी किये जाने से इंकार किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री वी. के. गर्ग एवं प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी का किसी प्रकार का क्रय कर का दायित्व नहीं होते हुए भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग सृजित की गयी है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी के पूर्ववर्ती कर निर्धारण आदेश के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई अपील संख्या 1573/2013/अजमेर में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 12.09.2013 को स्थगन आदेश पारित करते हुए वसूली पर स्थगन प्रदान किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण में बकाया वसूली योग्य राशि की मांग स्थगित किये जाने का निवेदन किया।	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............1830/2014............................... जिला ....अजमेर...

उनवान : मैसर्स जैन मार्बल सेन्टर, किशनगढ़ जिला अजमेर बनाम सहायक आयुक्त, वाणि.कर, किशनगढ़.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/12/2014	पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में वसूली योग्य राशि **रूपये 24,32,146/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। निर्णय सुनाया गया। 5/12/2014 5.12.2014 **सदस्य** **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **अजमेर**	